न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

वाद सं०–49 / 2018, धारा–107 द०प्र०सं०

महेश्वर कुम्हार वगैरह.....प्रथम पक्ष

बनाम

मेघनाथ कुम्हार वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई एवं तारीख सहित
14/12/2018	प्रस्तुत वाद राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी सं०–13 / 18 धारा–107 द०प्र०सं० दिनांक–06 / 04 / 2018 से सहायक अवर निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई। यह विवाद मौजा–नवाडीह, थाना नं०–87, खाता नं०–08, प्लॉट नं०–164, रकबा–07 डी० मध्ये 04 डी० में घर बनाने को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह नं०–1 परदेशी कुम्हार पिता महेश्वर कुम्हार ने अपने गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जमीन विवाद खाता नं०–08, प्लॉट नं०–164, रकबा–07 डी० मध्ये 04 डी० में है, उक्त जमीन पर पहले 144 का केस हुआ, उक्त विवाद में कुछ नहीं हुआ, विवादित 04 डी० जमीन प्रथम पक्ष के दखल कब्जा में है। प्लॉट नं०–164 में 07 डी० है खतियान के बकब्जे कॉलम में हरकू कुम्हार का नाम दर्ज है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह नं०–2 जीत वाहन कुम्हार, पिता–महेश्वर कुम्हार ने अपने गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि घटना की तारीख 06 / 04 / 2018 दिन शुक्रवार का समय सुबह 7 बजे था, उस दिन द्वितीय पक्ष नींव गड्ढा खोद रहा था हमलोग मना करने गए तो द्वितीय पक्ष बोला कि जो करना है थाना में जाकर करो तब हमलोग थाना गए। द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से अक्सर गाली गलौज करते हैं। राजेन्द्र कुम्हार और मेघनाथ कुम्हार आज–कल में मुझे नहीं मारा है। द्वितीय पक्ष के स्वतंत्र गवाह, गवाह सं०–01, दुर्गाचरण मुण्डा, पिता–स्व० सहदेव मुण्डा ने अपने गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि खाता नं०–08, प्लॉट नं०–164, रकबा–07 डी० मेघनाथ कुम्हार लोग का है। इसी जमीन पर मेघनाथ कुम्हार घर बनाना चाहता है। मेघनाथ कुम्हार को महेश्वर कुम्हार, करम कुम्हार, परदेशी कुम्हार, जीतवाहन कुम्हार घर बनाने नहीं देते हैं। उभय पक्ष में 4–5 साल पूर्व लड़ाई झगड़ा हुआ था, इस केस का लड़ाई झगड़ा मैं नहीं देखा हूँ। जमीन की रसीद मेघनाथ कुम्हार कटवाता है, मैं रसीद देखा हूँ। इसी आधार पर गवाही दे रहा हूँ। विवादित जमीन में मेघनाथ कुम्हार का 03 डी० पर घर बना है तथा 04 डी० जमीन खाली है। द्वितीय पक्ष के पार्टी गवाह मेघनाथ कुम्हार, पिता–स्व० गंगाधर कुम्हार ने अपने गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि थाना नं०–87, खाता नं०–08, प्लॉट नं०–164 रकबा–07 डी० R.S. खतियान में हरकू कुम्हार के नाम से दर्ज है। 27 डी० जमीन की रसीद पहले घासीया कुम्हार के नाम से कटता था। बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ तो वासगीत पर्चा बनवाकर 07 डी० जमीन का रसीद हमलोग कटवाते हैं। 07 डी० का बंडा पर्चा गंगाधर कुम्हार वगैरह के नाम से बना है। हमलोग लड़ाई–झगड़ा नहीं करते हैं। गाली–गलौज प्रथम पक्ष ही करते हैं और झूठ–मुठ का थाना में केस कर देते हैं। उभय पक्षों द्वारा वाद में प्रस्तुत कारण पृच्छा, पुलिस प्रतिवेदन, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच प्रश्नगत भूमि की दावेदारी को लेकर विवाद है।	

एवं	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी यदि कोई सहित

प्रथम पक्ष द्वारा अपने शिकायत आवेदन में किए गए दावे को प्रमाणित करने हेतु कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया न ही शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि ही हो सकी।

अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है। जहाँ तक भूमि पर दावेदारी की बात है आहत पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। लेखापित एवं संशोधित।

१५/१२/१८

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

१५/१२/१८

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:39:27 +05:30
Location: 192.168.43.107